

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन,

लखनऊ

(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या: 839-गोपन-06/पाकालि/2018-3-सा0गो0/2017

दिनांक: 07, अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन द्वारा अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं/स्वाकनों के प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक निर्देश सं-824-काविनी/राविप-29/96-08-काविनी/93, दिनांक 18.04.1996 के अनुपालन में विगत में वार्षिक गोपनीय आख्याओं को पूर्ण कराये जाने हेतु कतिपय दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। उसी क्रम में चूँकि प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 का समापन चुका है, अतएव समस्त अधिकारियों की प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (दि:01.04.2017 से 31.03.2018) की वार्षिक गोपनीय आख्याओं के ससमय अंकन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक दशा में 15 जुलाई तक अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याएँ कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :-

- (1) प्रतिवेदी द्वारा स्वीकन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल होगी एवं प्रतिवेदक अधिकारी 15 मई तक समीक्षक अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी 15 जून तक अन्तिम अधिकारी को तथा अन्तिम अधिकारी 15 जुलाई तक आख्या पूर्ण कराकर कारपोरेशन मुख्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय होने की दशा में भी प्रतिवेदी बिना पावती प्राप्ति किये अपना स्वीकन प्रतिवेदक अधिकारी को हस्तगत नहीं कराएगा। प्रतिवेदक अधिकारी के स्थानीय न होने की दशा में प्रतिवेदी पंजीकृत डाक से अपना स्वीकन भेजेगा और उसकी पावती अनुसचिव/उप सचिव (गोपन) को स्वयं या माँगें जाने पर उपलब्ध कराएगा।
- (3) प्रतिवेदी द्वारा 30 अप्रैल तक स्वीकन न प्रस्तुत करने की दशा में प्रतिवेदक/सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे इस तथ्य को इंगित करते हुये उपलब्ध विवरण के आधार पर प्रतिवेदी का मूल्यांकन करते हुए प्रविष्टि अंकित करेंगे।
- (4) उन सभी मामलों में जिनमें प्रविष्टिकर्ता अधिकारी बिना औचित्य के "उत्कृष्ट" या "असंतोषजनक" श्रेणी अंकित करेंगे, कारपोरेशन स्तर पर "उत्कृष्ट" श्रेणी को "अति उत्तम" तथा "असंतोषजनक" श्रेणी को "संतोषजनक" माना जायेगा और इस आशय का सत्यापन सम्बन्धित अवधि की गोपनीय आख्या में यथा स्थान कर दिया जायेगा।

- (5) वार्षिक गोपनीय आख्याओं में मूल्यांकन/अभिमत अंकित करने वाले समस्त प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा किसी भी दशा में मूल्यांकन अंकित करते समय काट/छाँट अथवा त्रुटि निवारण श्वेत द्रव्य इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

उपरोक्त निर्देशों का ससमय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या: 839(1)-गोपन(06)/पाकालि/2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

- (1) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर ।
- (2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (3) समस्त निदेशक(वाणिज्य)/(वितरण)/पारेषण/वित्त/तकनीकी/कारपोरेट प्लानिंग/वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट्स/आपरेशन, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (5) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० प्रॉगण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (6) समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, स्तर-2, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उप-महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन)/समस्त मुख्य/उपमुख्य/लेखाधिकारीगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
- (8) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (9) कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिविर ।
- (10) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को उपपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द्र जोशी)

अनुसचिव(गोपन)

27/04/18